उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

सं0-70/3100/62-2-2014-2/4(35)/2014टीसी

लखनउ: दिनांक: 15 अक्टूबर,2014

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को अपने वर्तमान कार्यभार के साथ्-साथ कालम-4 में अंकित खण्ड के अधिशासी अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार नितांन्त अस्थाई एवं कामचलाउ व्यवस्था के अन्तर्गत द्वैत प्रभार के रूप में दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिशासी अभियंता का नाम	कार्यरत खण्ड	अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिये जाने वाले खण्ड का नाम
1	2	3	4
1-	श्री राम औतार सिंह	फिरोजाबाद	गाजियाबाद एवं हापुड
2-	श्री विशम्भर दयाल	मेरठ	सहारनपुर एवं शामली

2- इस हेतु उक्त अधिशासी अभियंताओं को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नही होगा।

3- यह व्यवस्था पूर्णकालिक/नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने के फलस्वरूप स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ह0/

डा0 सूर्य प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव।

सं0-70/3100(1)/62-2-2014तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनउ।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।

4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।

5- संबंधित अधिकारी।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in